

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं. 0141-2228066, 2228064 फैक्स नं. 0141-2228065 वेबसाइट : [www.rmhc.health.rajasthan.gov.in](http://www.rmhc.health.rajasthan.gov.in)  
सीआईएस. : U24232RJ2011SGC035067 ई-मेल : [edprocurement@gmail.com](mailto:edprocurement@gmail.com) एवं [rmhc@nic.in](mailto:rmhc@nic.in)

क्रमांक : एफ.02(219)/आरएमएससी/प्रोक्यू./ड्रग/NIB 22/ 2016/ 920

दिनांक 11.8.17

कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर सविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F. 02(219)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-22/2016/ 1597 Dated:29.12.2016 के अन्तर्गत M/s Scott Edil Pharmacia Ltd, 54-55, INDL. AREA II, CHANDIGARH 160002 द्वारा आईटम कोड 27 - Paracetamol Syrup IP 125 mg/5ml (40% Sugar base with strawberry flavour and carmoisine colour) के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 10.02.2017 को खोली गयी। फर्म को कोटेड आईटम कोड 27 (Paracetamol Syrup IP 125 mg/5ml) के लिये Kerala Medical Services Corporation Ltd (KMSCL) के आदेश क्रमांक KMSCL/QC/BL/17/2014-15 दिनांक 07.05.2015 के द्वारा दिनांक 07.05.2015 से 31.03.2017 तक के लिये ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। फर्म ने ब्लैकलिस्टिंग के सम्बन्ध में दिनांक 16.02.2017 को इस निगम में पत्र द्वारा अवगत करवाया। इस बावत् फर्म को पत्र दिनांक 21.02.2017 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा गया। फर्म ने पत्र दिनांक 25.02.2017 द्वारा KMSCL के आदेश की प्रति प्रस्तुत की।

फर्म ने बिड में प्रस्तुत Declaration & Undertaking (Annexure-VII) में बिन्दू संख्या 4 "That concern/company/firm does not stand blacklisted/banned/debarred on any ground by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan or its departments on the date of bid submission. The concern/company/firm does not stand blacklisted/banned/debarred on the ground of conviction by court of law or the products being found spurious or adulterated by any other State /Central Government or it's any agencies (central Drugs procurement agencies). But my firm is blacklisted/banned/debarred on a different ground by a procurement agency, the details of which are given below-----

----- (Write 'NIL' if no such matter exists)" में Blacklisting का उल्लेख नहीं किया गया व Declaration & Undertaking (Annexure-VII) के बिन्दू संख्या 2 में That the quoted product is manufactured/imported by us, and none has been declared as "Not of standard quality" during last two years. घोषणा की हुई है।

प्रकरण परीक्षण उपरान्त दिनांक 17.04.2017 को हुयी अनुशासनात्मक समिति की बैठक में रखा गया एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु फर्म को भी उपस्थित होने हेतु लिखा गया। उक्त तिथि को फर्म का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अनुशासनात्मक समिति द्वारा आईटम कोड 27(Paracetamol Syrup IP 125 mg/5ml) के लिये Kerala Medical Services Corporation Ltd (KMSCL) द्वारा NOSQ एवं ब्लैक लिस्ट होते हुए भी इस तथ्य को छुपाते हुए आरएमएससीएल की निविदा में भाग लेने के कारण बिड शर्त संख्या 2(g) - "If any product/products of a company/firm have been declared as not of standard quality, as per Drugs & Cosmetics Act during last 2 years anywhere, such concern/company/firm shall not be eligible to participate in Bid for such product/products. If any company/firm is found to have any such product quoted in the Bid, the product shall be blacklisted for 2 years and a penalty equivalent to Bid Security Deposit shall also be levied. In such situation, the bid will be considered further only if the amount of penalty is deposited before the completion of technical evaluation" व शर्त संख्या 5(r). Undertaking that the manufacturer has not been blacklisted, the product has not been declared as not of standard quality during last two years, it's manufacturing capacity and other details required on a format mentioned at Annexure-VII. का उल्लंघन माना गया।

ब्लैक लिस्टिंग के संबंध में टेस्टिंग रिपोर्ट भिजवाने हेतु KMSCL को दिनांक 25.05.2017, 15.06.2017 एवं 07.07.2017 को पत्र लिखे गये। KMSCL ने दिनांक 10.07.2017 को ईमेल द्वारा टेस्टिंग रिपोर्ट भेजी गयी। टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार आइटम Unpleasant Odour होने के कारण NOSQ घोषित किया गया है।

अतः अनुशासनात्मक समिति द्वारा फर्म के प्रतिनिधि से व्यक्तिगत सुनवाई एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार विमर्श किया गया। अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 17.04.2017 में हुए निर्णयानुसार M/s Scott Edil Pharmacia Ltd, 54-55, INDL. AREA II, CHANDIGARH 160002 को आइटम कोड 27 (Paracetamol Syrup IP 125 mg/5ml (40% Sugar base with strawberry flavour and carmoisine colour) के लिये आरएमएससी की निविदाओं में भाग (participate) लेने से यह आदेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार्ड करने तथा राशि रु 2 लाख (अक्षरे राशि रु दो लाख मात्र) की पैनल्टी निर्धारित कर फर्म द्वारा इस हेतु उपरोक्तानुसार जमा कराई हुई राशि में से जब्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक 10/8/17  
आरएमएससीएल

क्रमांक : एफ.02(219)/आरएमएससी/प्रोक्यू./इंग/NIB 22/2016/920  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 11/8/2017

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससी को दी जाकर लेख है कि मैसर्स Scott Edil Pharmacia Ltd, 54-55, INDL. AREA II, CHANDIGARH 160002-173030 द्वारा जमा कराई गई राशि रु. 4 लाख (D.D. no. 823705 & 823704 dated 09.02.2017) का डी. डी अनौ टीप क्रमांक 227 दिनांक 13.02.2017 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया है, जिसमें से राशि रु 2 लाख की पैनल्टी की वसूली करावे।
8. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससी।
9. विशेषाधिकारी, आरएमएससी।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Scott Edil Pharmacia Ltd, 54-55, INDL. AREA II, CHANDIGARH 160002-173030, AGM (IT), RMSC.
11. रक्षित पत्रावली

कार्यकारी निदेशक (पी)  
आरएमएससीएल